तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20.7.21	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित, पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया, तहसीलदार माण्डल द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा. प. किया गया, उभयपक्षो ने बहस करनी चाही। उभयपक्षो की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 29.7.21 को पेश हो।
29.7.21	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है! अतः पत्रावली दिनांक 5.8.21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
5.8.21	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र मे अंकित दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षो की बहस पर मनन किया। तहसीलदार माण्डल की मौका रिपोर्ट व पैरोकार सरकार के जवाब का अध्ययन किया। विवादित आराजियात ग्राम लेसवा पटवार हल्का लेसवा तहसील माण्डल मे स्थित होकर प्रार्थी जीतु पुत्र रामचन्द्र जाट के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2072-2075 से होती है। प्रस्तुत दस्[illegible] एवं प्रार्थना पत्र मे अंकित त[illegible] प्रार्थी के पिता का नाम रामचन्द्र [illegible] रायचन्द नाम अंकित करवाना चाहता है जिसकी ताईद [illegible] आधार कार्ड की फोटो प्रति, बैंकडायरी की फोटो प्रति, पहचान पत्र की फोटो प्रति, परिवार राशन कार्ड की फोटो प्रति आदि से होती है उसी के अनुसार प्रार्थी अपने पिता का नाम

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:09:09 IST
Reason: SelfAttested

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रामचन्द्र के बजाय रायचन्द अंकित कराना चाहता है ताकि बोलचाल व राजस्व रेकार्ड मे भिन्नता नही हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं। अत: :: आदेश :: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम लेसवा पटवार हल्का लेसवा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा मे स्थित खाता सं० 110 मे आराजी नं० 623/1 रकबा 02 बीघा आराजी नं० 656 रकबा 0.03 बिस्वा एंव खाता संख्या 109 मे आराजी नं० 1040 मे रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा व आराजी नं० 1045 मे रकबा 15 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी का नाम जीतू पुत्र रामचन्द्र के बजाय जीतु पिता रायचन्द जाट निवासी- पीली कारखेड़ा मजरा लेसवा तहसील माण्डल अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उसी अनुसार भूमि राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे। तहसीलदार माण्डल राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाई जाकर [illegible] जावे। पत्रावली फैसल [illegible] कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:09:09 IST
Reason: SelfAttested